तत्काल निर्गत

सत्यमेव जयते

प्रेस विज्ञप्ति

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
बिहार में सतही सिंचाई परियोजनाओं के परिणामों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

बिहार सरकार

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या– 3

प्रेस विज्ञप्ति

तत्काल निर्गत

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का बिहार में सतही सिंचाई परियोजनाओं के परिणामों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2015–21 के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसमें बिहार में चयनित सतही सिंचाई परियोजनाओं के परिणामों पर निष्पादन लेखापरीक्षा के नतीजे दिये गये हैं, दिनांक **16 दिसंबर 2022** को बिहार विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बिहार में सतही सिंचाई परियोजनाओं के परिणामों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

बिहार में कृषि, वर्षा एवं भू–जल पर अत्यधिक निर्भर है। अतः, सतही सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त और सुनिश्चित आपूर्ति हेतु, बुनियादी ढ़ांचे को मजबूत करना बहुत अधिक आवश्यक है। इस निष्पादन लेखापरीक्षा में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में परिकल्पित सतही सिंचाई के परिणामों की उपलब्धियों और नमूना परियोजनाओं की कम उपलब्धि, यदि कोई हो, के कारकों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया।

(परिचय)

पांच नमूना सतही सिंचाई परियोजनाएँ थीं : (1) पूर्वी गंडक नहर प्रणाली (ई.जी.सी.एस.), का विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.), पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में विस्तृत एवं 2015–21 से संबंधित (2) पूर्वी कोसी नहर प्रणाली (ई.के.सी.एस.), का विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.), अररिया, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जिलों में विस्तृत एवं 2015–21 से संबंधित (3) उदेरास्थान बराज योजना का विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.), जहानाबाद, नालंदा और गया जिलों में विस्तृत एवं 2017–21 से संबंधित (4) जमानिया पंप

नहर योजना, कैमूर जिला में विस्तृत एवं 2015–21 से संबंधित और (5) चानकेन सिंचाई परियोजना, मुंगेर जिला में विस्तृत एवं 2018–21 से संबंधित।

(कंडिका– 1.4)

महत्त्वपूर्ण तथ्य

विवरण	पूर्वी गंडक	पूर्वी कोसी	उदेरास्थान	जमानिया	चानकेन
परियोजना मूल्यांकन अवधि	2015–21	2015–21	2017–21	2015–21	2018–21
परियोजना की स्थिति	पूर्ण	पूर्ण	जारी	जारी	अपूर्ण
परियोजना व्यय (₹ करोड़)	723	764	752	134.56	35.78
कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (सीसीए) (लाख हेक्टेयर)	4.81	6.12	0.41	0.09	0.10
सिंचाई गहनता (प्रतिशत)	138	120	100	157.10	100
मूल्यांकन अवधि के दौरान सिंचित होने वाला सकल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	39.80	42.82	1.64	0.85	0.30
मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रतिवेदित सिंचाई (लाख हेक्टेयर)	28.09	29.91	1.29	0.58	शून्य
जल की शुद्ध उपलब्धता के आधार पर मूल्यांकन अवधि के दौरान अधिकतम संभव सिंचाई (लाख हेक्टेयर)	11.85	8.16	0.85	0.51	चालू नहीं
परियोजना उपरांत परिकल्पित वार्षिक कृषि उपज (लाख मीट्रिक टन)	45.58	25.74	1.73	0.71	चालू नहीं
परिकल्पित उपज की तुलना में परियोजना उपरांत अधिकतम संभव कृषि उपज (सतही सिंचाई के कारण)	24 से 34	11 से 27	42 से 59	53 से 76	चालू नहीं

परियोजना डेलिवरेबल्स के अनुसार, मूल्यांकन अवधि में 85.41 लाख हेक्टेयर (हे0) क्षेत्र सिंचित किया जाना था। विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार, मात्र 59.87 लाख हे0 (70 प्रतिशत) क्षेत्र में सिंचाई की गई थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग का प्रतिवेदन सही नहीं था। नहर प्रणाली में जल की शुद्ध उपलब्धता एवं विभाग द्वारा निर्धारित ड्यूटी (अर्थात्, पानी की मात्रा और उससे परिपक्व होने वाले फसल के बीच संबंध) के अनुसार, अधिकतम 16.58 लाख हे0 खरीफ फसल तथा 4.79 लाख हे0 रबी फसल के लिये सिंचाई संभव थी। इस प्रकार प्रतिवेदित 59.87 लाख हे0 सिंचाई की तुलना में अधिकतम सिंचाई केवल 21.37 लाख हे0 (25 प्रतिशत) में ही संभव थी।

(कंडिका– 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 एवं 6.2)

फील्ड चैनलों एवं आउटलेटों के अपरिचालन, गाद, नहरों में दरार, संचालन और रख–रखाव के लिए निधि की कमी, वाटर यूजर एसोसिएशन का गठन नहीं किया जाना/अपर्याप्त गठन सहित अप्रभावी सहभागी सिंचाई प्रबंधन आदि के कारण सिंचाई कम हुई थी। परिणामस्वरूप, परियोजना का अभीष्ट उद्देश्य, सिंचाई सुविधाओं के सृजन/पुनर्स्थापना के माध्यम से अधिकतम कृषि उत्पादन, प्राप्त नहीं किया जा सका।

नमूना सिंचाई परियोजनाओं में, सतही सिंचाई से संबंधित, कृषि उपज केवल 11 से 76 प्रतिशत के बीच रही।

(कंडिका– 2.2 से 2.6, 3.2 से 3.6, 4.2 से 4.6 एवं 5.2 से 5.6)

परियोजना के बाद का फसल क्रम, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रस्तावित परियोजना के बाद के फसल क्रम से भिन्न था। पूर्वी गंडक नहर प्रणाली और जमानिया पंप नहर योजना में भिन्नता क्रमशः (–) 99 से 262 प्रतिशत और (–) 94 से 40 प्रतिशत के बीच थी।

(कंडिका– 2.7 एवं 5.7)

परियोजना क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से सेटलिंग बेसिन के निर्माण एवं गाद निकालने की आयोजना में कमी के कारण ₹ 90.92 करोड़ के व्यय के बावजूद अभीष्ट उद्देश्य की अप्राप्ति, संवेदक को ₹ 1.93 करोड़ का दोहरा भुगतान, अनुबंध को रद्द/समाप्त करने के कारण विभाग को ₹ 15.66 करोड़ की हानि (जिसमें परफॉरमेंस गारंटी ₹ 1.32 करोड़ का कपटपूर्ण परिसमापन भी शामिल है), ₹ 14.57 करोड़ का अधिक भुगतान आदि दृष्टांतों का पता चला।

(कंडिका– 2.9, 3.10, 4.9 एवं 5.9)

बिहार सिंचाई अधिनियम, 2003 के विपरीत, विस्तृत अनुश्रवण प्रक्रिया, यथा आउटलेटों के रजिस्टर का संधारण, सिंचाई प्रमंडलों द्वारा सूदकार तैयार करना, कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता द्वारा सूदकार की जाँच, मुख्य अभियंता द्वारा अंचल कार्यालयों के निरीक्षण का विधिवत पालन नहीं किया गया।

(कंडिका– 2.10, 3.11, 4.10 एवं 5.10)

चार सिंचाई परियोजना (चानकेन को छोड़कर) प्रमंडलों के अंतर्गत अग्रिम पंक्ति के अभियंताओं अर्थात् कनीय अभियंता और सहायक अभियंता की कमी क्रमशः 46 से 76 प्रतिशत और 60 से 83 प्रतिशत के बीच थी। अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की कमी के कारण सूदकार/खतियान को अधूरा तैयार किया गया साथ–साथ मांग और पटवन शुल्क का संग्रह भी कम हुआ। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रतिवेदित सिंचाई के विरूद्ध ₹ 111.38 करोड़ के राजस्व की मांग की जानी थी। हालांकि, केवल ₹ 5.67 करोड़ (पांच प्रतिशत) की ही मांग की गई। इसके विरूद्ध राजस्व संग्रहण केवल ₹ 1.73 करोड़ था।

(कंडिका– 2.11, 3.12, 4.11 एवं 5.11)

चानकेन सिंचाई परियोजना (10,251 हे0 कृषि योग्य कमांड क्षेत्र हेतु) केवल खरीफ मौसम के दौरान सिंचाई हेतु प्रस्तावित थी और मई 2015 तक पूर्ण की जानी थी। ₹ 35.78 करोड़ के व्यय (जनवरी 2018) के बावजूद, वितरणी प्रणाली से संबंधित कार्य नहीं किये जाने के कारण इसे पूर्ण नहीं किया जा सका। इसलिए, उपयोगित सिंचाई क्षमता शून्य थी। संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि निष्पादित कार्य भी कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त थे।

(कंडिका– 6.1 एवं 6.3)

विभाग को क्षेत्र स्तर पर वास्तविक सिंचाई में सुधार के उपायों पर विचार करना चाहिए। पर्याप्त संख्या में पक्के फील्ड चैनलों जो आउटलेटों/जलवाहों से जुड़े हुए हों, के निर्माण के साथ कमांड क्षेत्र का विकास, पर्याप्त संख्या में वाटर यूजर एसोसिएशन के गठन के साथ सहभागी सिंचाई प्रबंधन, नहरों से गाद निकालना, लाइनिंग, अक्रियाशील आउटलेटों की मरम्मत से बेहतर सिंचाई सुगम हो सकती है। विभाग अधिक/अनियमित भुगतानों से बचने के लिए मौजूदा नियंत्रण तंत्र को और मजबूत कर सकता है। मानवबल की पर्याप्त उपलब्धता राजस्व मांग और प्रभावी संग्रह में मददगार हो सकती है।

(कंडिका– 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 एवं 6.3)

इन विषयों पर आगे के किसी सूचना के लिए कृपया निम्न पता पर हमें सम्पर्क करेः–

प्रवक्ता, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार का कार्यालय	श्री आदर्श अग्रवाल उप महालेखाकार (प्रशासन) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, बिहार, पटना
टेलीफोन नम्बर	0612–2221941 (का.),
फैक्स नम्बर	0612–2506223
मेल आईडी	agarwala2@cag.gov.in
हमारा वेबसाईट	**cag.gov.in/ag/bihar/hi**
मीडिया अधिकारी	श्री कुन्दन कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, बिहार, पटना
मोबाईल नम्बर	9431624894